

27 <sup>10</sup>/<sub>20</sub> पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/पति/पत्नी  
 उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रार्थना की  
 दिनांक 10.12.20 को वास्तु ~~पेश~~ पेश हो।  
 उप खण्ड अधिकारी

28 <sup>10</sup>/<sub>20</sub> पत्रावली पेश हुई। वकीलप्राची व पेंसेकर  
 उपस्थित। पत्रावली में वकीलप्राची साक्ष्य करवाया  
 जाता है। अतः पत्रावली वास्तु साक्ष्यप्राची  
 दि. 11.11.20 को पेश है।

11 <sup>11</sup>/<sub>20</sub> पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/पति/पत्नी  
 उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रार्थना की  
 दिनांक 9.12.20 को वास्तु साक्ष्यप्राची पेश हो।  
 उप खण्ड अधिकारी

9 <sup>12</sup>/<sub>20</sub> पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/पति/पत्नी  
 उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रार्थना की  
 दिनांक 6.1.20 को वास्तु साक्ष्यप्राची पेश हो।  
 उप खण्ड अधिकारी

6 <sup>1</sup>/<sub>20</sub> पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/पति/पत्नी  
 उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रार्थना की  
 दिनांक 13.2.20 को वास्तु साक्ष्यप्राची पेश हो।  
 उप खण्ड अधिकारी

13 <sup>1</sup>/<sub>21</sub> पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/पति/पत्नी  
 उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रार्थना की  
 दिनांक 21.1.20 को वास्तु साक्ष्यप्राची पेश हो।  
 उप खण्ड अधिकारी

21 <sup>1</sup>/<sub>20</sub> पत्रावली पेश हुई। वकीलप्राची एवं पेंसेकर सरकार उप.।  
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्राची  
 द्वारा वादी गमी रिलिफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
 136 वा. श्र. राजस्व अधिनियम 1956 में ना लेकर  
 अपील मामलांतरण में होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया  
 जाया है। अतः प्राची सहमत धाराओं में पुनः दावा  
 दाखल करने के लिए स्वतन्त्र रहेगा। पत्रावली फंसल  
 नुमांर लेकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
 विजौलियाँ जि. भीलवाड़ा